रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II— Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 392] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900

No. 392] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

आदेश

का० आ० 510(अ):—मैं, मा० रामचन्द्रन, प्रशासक, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 9 की उपधारा (2) तथा धारा 115 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी यह राय होने पर कि भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा, सार्वजनिक सूचना सं० 59 आई टी सी (पी एन)/78 तारीख 17 अगस्त, 1978 में, अधिसूचित स्वर्णाभूषण निर्यात संपूर्ति स्कीम में, विनिर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में यह अपेक्षित है:—

(1) भारतीय स्टेट बैंक को जिसका गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन किया गया है,

(क) प्राथमिक स्वर्ण को क्रय करने या अन्यथा अर्जित करने, स्वीकार करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए; और

(ख) उक्त स्कीम में निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निकासी आदेश पर अनुज्ञप्त व्यौहारी को मानक स्वर्ण शलाकाओं के रूप में प्राथमिक स्वर्ण का विक्रय करने, परिदान करने, अन्तरित करने या अन्यथा व्ययन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

(2) ऐसे अनुज्ञप्त व्यौहारी को, उक्त भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस प्रकार विक्रय किए गए स्वर्ण को क्रय करने या अन्यथा अर्जित करने, स्वीकार करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

परन्तु अनुज्ञप्त व्यौहारी, खण्ड (2) में निर्दिष्ट किसी स्वर्ण को किसी अन्य अनुज्ञप्त व्यौहारी को विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं करेगा किन्तु—

(क) ऐसे स्वर्ण का उपयोग आभूषणों या वस्तुओं अथवा दोनों को बनाने, विनिर्माण करने, तैयार करने या मरम्मत करने में कर सकता है;

(ख) आभूषणों या वस्तुओं अथवा दोनों को बनाने, विनिर्माण करने, तैयार करने या मरम्मत करने के प्रयोजनार्थ किसी प्रमाणित स्वर्णकार को, एक समय पर 100 ग्राम से अनधिक स्वर्ण का विक्रय, परिदान अथवा अन्तरण कर सकता है।

[सं० 17/78 फा०सं० 143/4/78-स्व० नि०-II]
मा० रामचन्द्रन, स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th August, 1978

ORDER

S.O. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8, read with sub-section (2) of section 9 and sub-section (1) of section 115 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, M. Ramachandran, Administrator, being of the opinion that the special circumstances specified in the Gold Jewellery Export Replenishment Scheme notified by the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation, in the Public Notice No. 59-ITC(PN)/78, dated the 17th August, 1978, so require, hereby authorise—

(i) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), to—

(a) buy or otherwise acquire, accept or otherwise receive primary gold ; and

(b) Sell, deliver, transfer or otherwise dispose of primary gold in form of standard gold bars to a licensed dealer against the release order issued by the licensing authority referred to in the said Scheme.

(ii) such licensed dealer to buy or otherwise acquire, accept or otherwise receive the gold so sold by the said State Bank of India :

Provided that the licensed dealer shall not sell or otherwise dispose of any gold referred to in clause (ii) to any other licensed dealer but may—

(a) use such gold in the making, manufacturing, preparing or repairing of ornaments or articles or both ;

(b) sell, deliver or transfer such gold not exceeding 100 grammes at a time to a certified goldsmith for the purpose of making, manufacturing, preparing or repairing of ornaments or articles or both.

[No. 17/78/F. No. 143/4/78-GC. II]
M. RAMACHANDRAN,
Gold Control Administrator.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978